

पत्रांक:-10/न-39/2016 65।

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक

बी० एन० मिश्रा,
विशेष निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

सेवा में

अध्यक्ष,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर,

नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक २१/६/१५

विषय:- संत मेरी स्कूल, बेलदारीचक कंसारी, पटना को C.B.S.E बोर्ड, नई दिल्ली से संबंधित हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्णय करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि संत मेरी स्कूल, बेलदारीचक कंसारी, पटना को अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के संबंध में उक्त विद्यालय के प्राचार्य/सचिव/विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्यपालक दण्डाधिकारी के सनक लिये गये शपथ-पत्र के साथ सलग्न उक्त विद्यालय के अभिलेखों/कार्गंजातों एवं जांच सनिति के प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग की सहाय सनिति द्वारा की गयी। तदनुसार विद्यालय की स्थिति निम्न प्रकार पाइ गई:-

1. यह विद्यालय सेक्रेड हार्ट कॉन्वेन्ट सोसाइटी के अधीन संचालित है। इस द्रष्टव्य में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रनुत्त्व नहीं है। सोसाइटी के एकत्र सदस्य का व्यारा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।

2. विद्यालय प्रबंधन द्वारा किसी अन्य निबंधित सोसाइटी/न्यास के फेन्वाईजी अथवा किसी विद्यालय के बांड नेन उपयोग नहीं करने का दावा किया है।

3. विद्यालय की 3 बीघा 12 कर्ढा भूमि दान-पत्र पर उपलब्ध है। विद्यालय का भवन है तथा पुरतकालय एवं प्रयांगशाला उपलब्ध हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं अन्य सभी सुविधायें बोर्ड के मानक के अनुरूप हैं अथवा नहीं।

4. विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति है। विद्यालय में कुल 19 शिक्षक हैं। सी० बी० एस० ई०. नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की नियुक्ति, उनकी योग्यता एवं प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप है अथवा नहीं।

5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेशण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इस सी० बी० एस० ई०. नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।

7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना सख्ता-238, दिनांक-04.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्त स्वीकार है।

अपेक्षित शर्तों के अनुसार-

(i) विद्यालय में कुल क्षमता का 25 प्रतिशत नियात करने वाले परिवार के बच्चों को किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनु० जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग वालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय प्रतिवर्ष रुपया 2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) से कम होगा, को रखा गया है।

Rosalia Gabrial

MANAGER
ST. MARY'S SCHOOL
BELDARICHAK
PATNA-804451

23.07.2016

Bebiana Sungdung

PRINCIPAL
ST. MARY SCHOOL
BELDARICHAK
PATNA-804451

(ii) विद्यालय ने नसंरी/केठी अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित कानून से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(iii) नरसी/केंजी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास को दूरी अधिकतन एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्ष में नामांकन हेतु अधिकतन दूरी तीन किलोमीटर तक रहेगी।

(iv) जिन वस्त्रों का नानांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

४. यद्यपि कि विद्यालय का प्रबंधन द्वारा सभी अनिवार्य शर्तों को पूरा करने के संबंध में शपथ पत्र के नहर्दान से दाढ़ा किया गया है, फिर भी सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सनिक्षिप्त हो लें कि विद्यालय उनके द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9 कर यह सुनारंधत हो लेकि विद्यालय के द्वारा साथ ही सी० बी० एस० ई० को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उत्तेज प्रोस्पेक्टस एवं यैबसाईट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की रिधंति में अनापति प्रमाण-पत्र यापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कार्रवाई ली जायेगी।

कारंवाइ की जायगा।
10 दिनांक पत्राक-46, दिनांक- 18.01.2008 द्वारा शिक्षक /छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने सदृशी आदेशों का दिद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11 विद्यालय, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षी पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

द्वारा निरक्षण हुतु किसी भी समय खुला है। उपर्युक्त वर्णित शर्तों के आलोक में विभागीय सनिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार संत मेरी स्कूल, बेल्डारीचक कंसारी, पटना को सी० घी० एस० ई०, नहूं दिल्ली से समझता है अनापनि इस इन सभी सम्बन्ध ग्रहन किया जाता है कि सी० घी० एस० ई० अपने स्तर से संतुष्ट होने पर ही विचालन की सक्षमता होने पर विशेष करेगी।

विद्यासमाजन

(पी० एन० सिपाही)

विशेष निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

पटना. दिनांक... ११.६.१८

ज्ञापाक - १० / नं-३९ / २०१६ 65 |

प्रतिलिपि :- जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना को नूधनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञानपूर्क :- 10/प्र-39/2016 65।

विशेष निदेशक, (भारतीय-शिक्षा)

पटना, दिनांक..... २।।६।।

डांपाक :- १०/८०-३९/२०१६ ६५।

प्रतिलिपि— प्राचीर्य, संत मरी स्कूल, देवदीर्घक कंसारी, पटना को सूचनार्थ, एवं आवश्यक कांगार्थ प्रेषित।

Rosalia Gabriel

**MANAGER
ST. MARY'S SCHOOL
BELDARICHAK
PATNA-804451**

© 2014 KCC Letter

दिशेष निदेशक (माध्यमिक लिख)

Biliano Sugden
PRINCIPAL
ST. MARY'S SCHOOL
BELDAH CHAK
PATNA-804451